फर्द अहकाम

रामचन्द्र वगैरह बनाम सोना व अन्य

न्यायालय

संख्या 157/2012

वाद

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/8/19	प्रार्थी/वादीगण द्वारा अधिवक्ता पत्रावली लगाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज तलब की गई। प्रार्थी/वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत O23 R1 व 3 अपठित धारा 151 CPC वाद विड्रा कर नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अनवाली वाद पत्र पूर्व में वादीगण के द्वारा मौजूदा तथ्यों के आधार पर मौजूदा तथ्यों के सही होने को सद्भाविक विश्वास कर तत्कालीन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था जो कि वादीगण ग्रामीण परिवेश के सीधे-सादे नवयुवक मजदूरी पेशा व्यक्ति है जिनको वाद प्रस्तुत करते समय प्रतिवादी सोराया के द्वारा वादीगण की नाबालिग अवस्था के दौरान चुपचाप के किये गये कार्यवाही की कोई जानकारी कतई नहीं रही थी। जानकारी तथा उक्त जानकारी के अभाव के वादीगण के प्रतिवादी सोराया के द्वारा गलत व विधि विरुद्ध रूप से तैयार करवाये गये	राधेश्याम ओमप्रकाश गौर O.P. Kala 28-8-19

नाम न्यायालय

केस संख्या

2

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		सम्बन्ध रिकार्ड को सही होने का स्वभाविक विश्वास कर यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विवादित विक्रय पत्र दिनांक 15/1/1980 की जानकारी व प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुयी जिसके प्राप्त होने पर वादीगण को उपरोक्त वर्णन त्रुटियों की जानकारी प्राप्त हुयी है जिसके पश्चात ही वादीगण को यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 की विवादित कृषि भूमि व संख्या 2 वाद पत्र में 1/2 हिस्सा नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा के से केवल भाग 2/3 भाग ही है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हो रहे हिस्सा 1/2 भाग के इन्द्राजात गलत रूप अंकित है इस प्रकार पूर्व में वादीगण के राजस्व रिकार्ड की वास्तविक जानकारी के अभाव में स्वभाविकता के आधार पर हस्तगत वाद प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 भाग सम्पूर्ण से मानते हुये प्रस्तुत कर दिया गया था जबकि उक्त तथ्यों को व वास्तविकता के अनुसार वादीगण को रिकार्ड दुरुस्ती घोषणा व तकमीली वाद है

फर्द अहकाम

बनाम

ालय

या

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	प्रस्तुत करना आवश्यक है इस प्रकार उक्त वाद त्रुटिपूर्ण है जिसके चलने से वास्तविक न्याय के उद्देश्य पूर्ण तथा विफल हो जायेंगे तथा वादीगण को असुविधा स्वयं से ऐसी हानि होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से नहीं हो धोखाधड़ी पूर्ण कार्य व अशुद्ध राजस्व रिकार्ड के वैध होने पर न्यायालय की मोहर लग सकेगी इसलिए वादीगण उक्त त्रुटिपूर्ण वाद को निरस्त कर वास्तविक एवं पूर्ण वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते है उक्त वाद के आगे संचालन से न्याय व विधि के उद्देश्य विफल होंगे चूंकि विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड नामांत व विधि विरुद्ध है इसलिए उक्त वाद के आधार पर पक्षकारगण के हक अधिकारों का वास्तविक न्याय निर्णय किया जाना है मान्यवर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण को उक्त वाद निरस्त करने की अनुमति दी जाकर नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाते हुये वादीगण को वादीगण का [illegible]	

Scanned by CamScanner

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		उक्त वाद विड्रा प्रकरण पत्रावली प्रार्थना-पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादीगण का प्रार्थनापत्र O23R1 व 3 सपठित धारा 151 CPC वाद विड्रा कर नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी वादीगण का प्रार्थना-पत्र आदेश 23 नियम 1 व 3 सपठित धारा 151 बाबत वाद विड्रा कर नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/वादीगण का वाद नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज रजिस्टर केस कार्य हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Scanned by CamScanner

प्रारम्भिक डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास अशोक कुमार योगी आरएएस

1. रामचन्द्र पुत्र चौथू
2. राधेश्याम पुत्र चौथू
3. शंकर पुत्र चौथू
4. ओप्रकाश पुत्र चौथू

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चौमूॅ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. सोना पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी ग्राम चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय, चौमू जिला जयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय तहसील चौमू, जिला जयपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं0 157 / 2012

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादीगण व हाजरी .प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रा0 डिगरी दी जाती है कि :– वादीगण का वाद प्रा0 डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि आ0 ख0न0 5733, 5734, 5735 किता 3 का कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर वाके ग्राम चौमूं तहसील चौमूं का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य उनके दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कर कुरेजात तैयार करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार चौमूं को तहरीर जारी हों।

बसूरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 30.3.2017 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा ....
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner